



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 17, 2019/ज्येष्ठ 27, 1941

No. 359]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 17, 2019/JYAISTHA 27, 1941

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(बान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनबाद, 13 जून, 2019

सा.का.नि. 427 (अ).—कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये खनन परीक्षा बोर्ड, किसी खान में प्रबंधक की सहायता के लिए नियुक्त किये जाने वाले सहायक प्रबंधकों की संख्या को एतद्वारा निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है।

1.0 भूमिगत खान:

प्रत्येक खदान, जिसका औसत उत्पादन 7,000 टन से अधिक है, प्रबंधक को निम्नलिखित पैमाने पर सहायक प्रबंधकों की सहायता प्रदान की जाएगी

मासिक औसत उत्पादन (आउटपुट)	सहायक प्रबंधकों की संख्या
10000 टन तक	एक
10000 टन से ज्यादा	10,000 टन से ऊपर प्रत्येक 5,000 टन उत्पादन (आउटपुट) या उसके अंश के लिए एक अतिरिक्त सहायक प्रबंधक

वशर्ते कि किसी खदान में जहां औसत उत्पादन 20,000 टन से अधिक हो, कम से कम एक सहायक प्रबंधक, जैसा कि पूर्वोक्त है, प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाण पत्र धारक होगा।

नोट (अ) किसी खान का औसत उत्पादन (आउटपुट) का अर्थ है “ पिछले वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट खान सीमा, जो कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 2 (1) (जी) में परिभाषित है, के अन्दर के सभी कार्यक्षेत्र से कोयला का कुल उत्पादन (आउटपुट) का मासिक औसत।

(ब) विशिष्ट स्थिति में विनियम 30 के अनुसार मुख्य खान निरीक्षक, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति की आवश्यकता में ढील दे सकता है।

2.0 खुली खदान

प्रत्येक खदान में, प्रबंधक को निम्नलिखित पैमाने पर सहायक प्रबंधकों की सहायता प्रदान की जाएगी।

औसत सामग्री परिचालन (Average material handled)	सर्वेक्षकों की संख्या
1 मिलियन घन मीटर तक	दस
1 मिलियन घन मीटर से ज्यादा	1 मिलियन घन मीटर के ऊपर प्रत्येक 1 मिलियन घन मीटर या उसके अंश के औसत सामग्री परिचालन के लिए एक अतिरिक्त सहायक प्रबंधक

खुली खदान में कम से कम 30 प्रतिशत सहायक प्रबंधक प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।

नोट (अ) किसी खान का औसत सामग्री परिचालन का अर्थ है “ पिछले तीन वित्तीय वर्षों में निर्दिष्ट खान सीमा के अन्दर के सभी उत्खनन से कोयला एवं ओवरवर्डन मिलाकर कुल आउटपुट का वार्षिक औसत।

(ब) विशिष्ट स्थिति में विनियम 30 के अनुसार मुख्य खान निरीक्षक, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति की आवश्यकता में ढील दे सकता है।

3.0 यदि अधिसूचना के अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रारूप में कोई भिन्नता / शंका हो, तो अंग्रेजी प्रारूप मान्य होगा।

[फा. सं. डीजीएमएस/एक्साम/नोटिफिकेशन (एएम & सर्व)/सीएमआर/2019/4]

उत्पल साहा, अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड (कोयला) & मुख्य खान निरीक्षक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(Directorate General of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 13th June, 2019

G.S.R. 427 (E).—In exercise of the powers conferred on Board of Mining Examinations under Regulation 30 of the Coal Mines Regulations 2017, the Board hereby specify the number of Assistant Managers to be appointed in a mine to assist the manager, as follows:

1.0 Underground mines:

In every mine the average output of which exceeds 7,000 tonnes, the manager shall be assisted by assistant managers on the following scale:

Average output per month	Number of assistant managers
Up to and including 10,000 tonnes	One
Above 10,000 tonnes	One additional assistant manager for every 5,000 tonnes output or part thereof in excess of 10,000 tonnes

Provided that in a mine where the average output exceeds 20,000 tonnes, at least one of the assistant managers as aforesaid shall hold a First Class Manager's Certificate.

Note: (a) Average output of any mine, means the average output per month during the preceding financial year of the total output from all workings within the specified mine boundary as defined in Regulation 2 (1) (g) of the Coal Mines Regulations, 2017.

(b) In specific cases, the Chief inspector may relax the requirement of the appointment of assistant managers as specified by the Board in accordance with the provision of Regulation 30 of the Coal Mines Regulations, 2017.

2.0 Opencast mines:

In every mine, the manager shall be assisted by assistant managers on the following scale:

Average material handled	Number of assistant managers
Up to and including 1 million cubic metre	Ten
Above 1 million cubic metre	One additional assistant manager for every 1 million cubic metre of average material handled or part thereof in excess of 1 million cubic metre.

At least 30 % of the assistant managers required in an opencast mine shall be holder of First Class Manager's Certificate.

Note: (a) The expression "average material handled" of any mine means 'the average material (coal and overburden material) handled per year during three preceding financial years from all workings within the specified mine boundaries.

(b) In specific cases, the Chief inspector may relax the requirement of the appointment of assistant managers as specified by the Board in accordance with the provision of Regulation 30 of the Coal Mines Regulations, 2017.

3.0 If there is any variation or doubt between English and Hindi versions of Notification, then English version of Notification will prevail over the Hindi version.

[F.No. DGMS/EXAM/NOTIFICATION (AM & SURV)/CMR/2019/4]

UTPAL SAHA, Chairman, Board of Mining Examinations (Coal) & Chief Inspector of Mines

अधिसूचना

धनबाद, 13 जून, 2019

सा.का.नि. 428 (अ).—कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 34 उपविनियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये खनन परीक्षा बोर्ड, किसी खान में नियुक्त किये जाने वाले सर्वेक्षकों की संख्या को एतद्द्वारा निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है।

1.0 भूमिगत खान:

नियुक्त किये जाने वाले सर्वेक्षकों की वांछित संख्या निम्नलिखित पैमाने पर होगी

मासिक उत्पादन (आउटपुट)	सर्वेक्षकों की संख्या
8000 टन और कम	एक
8000 टन से ज्यादा	प्रत्येक अतिरिक्त 15,000 टन या उसके अंश के लिए एक अतिरिक्त सर्वेक्षक

बशर्ते कि खदान के उत्पादन की गणना करने के लिए डिप्लियरिंग परिचालन से प्राप्त उत्पादन में केवल आधे उत्पादन को लिया जाएगा।

नोट: (अ) किसी खान का औसत उत्पादन (आउटपुट) का अर्थ है “ पिछले वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट खान सीमा, जो कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 2 (1) (जी) में परिभाषित है, के अन्दर के सभी कार्यक्षेत्र से कोयला का कुल उत्पादन (आउटपुट) का मासिक औसत।

(ब) विशिष्ट स्थिति में विनियम 34 उप विनियम 3 के अनुसार मुख्य खान निरीक्षक, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सर्वेक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता में ढील दे सकता है।

2.0 खुली खदान

नियुक्त किये जाने वाले सर्वेक्षकों की वांछित संख्या निम्नलिखित पैमाने पर होगी

औसत सामग्री परिचालन (Average material handled)	सर्वेक्षकों की संख्या
1 मिलियन घन मीटर तक	दो
1 मिलियन घन मीटर से ज्यादा और 5 मिलियन घन मीटर तक	तीन
5 मिलियन घन मीटर से ज्यादा और 10 मिलियन घन मीटर तक	चार
10 मिलियन घन मीटर से ज्यादा और 15 मिलियन घन मीटर तक	छह
15 मिलियन घन मीटर से ज्यादा	15 मिलियन घन मीटर से ऊपर प्रत्येक 10 मिलियन घन मीटर या उसके अंश पर एक अतिरिक्त सर्वेक्षक एवं उस अंक को 6 में जोड़ा जाएगा।

नोट: (अ) किसी खान का औसत सामग्री परिचालन का अर्थ है " पिछले तीन वित्तीय वर्षों में निर्दिष्ट खान सीमा के अन्दर के सभी उत्खनन से कोयला एवं ओवरवर्डन मिलाकर कुल आउटपुट का वार्षिक औसत।

(ब) विशिष्ट स्थिति में विनियम 34 उप विनियम 3 के अनुसार मुख्य खान निरीक्षक, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सर्वेक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता में ढील दे सकता है।

3.0 यदि अधिसूचना के अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रारूप में कोई भिन्नता / शंका हो, तो अंग्रेजी प्रारूप मान्य होगा।

[फा. सं. डीजीएमएस/एक्सएम/नोटिफिकेशन (एएम & सर्व)/सीएमआर/2019/4]

उत्पल साहा, अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड (कोयला) & मुख्य खान निरीक्षक

NOTIFICATION

Dhanbad, the 13th June, 2019

G.S.R. No. 428 (E).—In exercise of the powers conferred on Board of Mining Examinations under Sub-Regulation (3) of Regulation 34 of the Coal Mines Regulations 2017, the Board hereby specify the number of Surveyors to be appointed in a mine as follows:

1.0 Underground mines:

The number of surveyors required to be appointed shall be on the following scale namely;

Average output	Number of surveyors
8,000 tonnes and below	One
Above 8,000 tonnes	One additional surveyor for every additional 15,000 tonnes or part thereof.

Provided that for calculating the output of the mine only half of the output in the mine obtained from the depillaring operations shall be taken into consideration.

Note: (a) Average output of any mine, means the average output per month during the preceding financial year of the total output from all workings within the specified mine boundary as defined in Regulation 2 (1) (g) of the Coal Mines Regulations, 2017.

(b) In specific cases, the Chief inspector may relax the requirement of the appointment of Surveyors as specified by the Board in accordance with the provision of Regulation 34 (3) of the Coal Mines Regulations, 2017.

2.0 Opencast mines:

The number of surveyors required to be appointed shall be on the following scale namely;

Average material handled	Number of surveyors
Up to 1 million cubic metre	Two
Above 1 million m ³ and up to 5 million cubic metre	Three
Above 5 million cubic metre and up to 10 million cubic metre	Four
Above 10 million cubic metre and up to 15 million cubic metre	Six
Above 15 million cubic metre	One additional surveyor for every ten million cubic metre of average material handled or part thereof in excess of 15 million cubic metre and that value to be added by a figure of 6 (Six).

Note: (a) The expression “average material handled” of any mine means ‘the average material (coal and overburden material) handled per year during three preceding financial years from all workings within the specified mine boundaries.

(b) In specific cases, the Chief inspector may relax the requirement of the appointment of Surveyors as specified by the Board in accordance with the provision of Regulation 34 (3) of the Coal Mines Regulations, 2017.

3.0 If there is any variation or doubt between English and Hindi versions of Notification, then English version of Notification will prevail over the Hindi version.

[F.No. DGMS/EXAM/NOTIFICATION (AM & SURV)/CMR/2019/4]

UTPAL SAHA, Chairman, Board of Mining Examinations (Coal) & Chief Inspector of Mines